



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 10, गुरुवार, शाके 1942-दिसम्बर 31, 2020
Pausa 10, Thursday, Saka 1942-December 31, 2020

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 24, 2020

जी.एस.आर.236 :- 'राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष नियम-2001' में निम्न संशोधन किये जाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-

(1) इन नियमों का नाम "राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष (संशोधन) नियम-2020" होगा।

(2) यह संशोधन तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. वर्तमान नियमों में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :-

(अ) वर्तमान नियम-3 (पात्रता) के बिन्दु (क) (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

सभी प्रकार की गम्भीर बीमारियों यथा- कैंसर, कुष्ठ रोग, वाल्व रिप्लेसमेंट, एन्ज्योप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लान्ट, ब्रेन स्ट्रोक (मस्तिष्क एवं तंत्रिका संबंधी बीमारियां), मिर्गी के दौर, दुर्घटना में गम्भीर घायल, गम्भीर संक्रमित बीमारी - ब्रेन इन्फेक्शन, फेफड़ों का संक्रमण/निमोनिया, शरीर के अन्य अंगों में गम्भीर संक्रमण, जनरल सर्जरी - (हरनिया, एपेंडिक्स, किडनी व गॉल ब्लैडर में पथरी), गर्भावस्था (सीजेरियन) एवं महिला रोग संबंधित गम्भीर बीमारियां, अत्यधिक रक्त स्राव संबंधी बीमारियां, पैरालिसिस/लकवा/पक्षाघात, अस्थमा, अल्जाइमर, कोविड-19, थाइराइड इत्यादि गम्भीर बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता देय की जाती है।

(ब) वर्तमान नियम (4)(2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

इन नियमों के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता रु. 1000/-से रु. 2500/- प्रतिमाह तथा अधिकतम एक वर्ष के लिए होगी। एकमुश्त राशि 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होगी लेकिन विशेष मामलों में कारणों को लिखित में उल्लेखित करते हुए समिति इस सीमा को बढ़ा भी सकती है जो 2,00,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी।

उक्त अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 102005571 दिनांक 24.12.2020 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

[संख्या एफ.6(1)गृह/सम्पर्क/सचि./प्रको./2014]

महेन्द्र सोनी,

विशिष्ट शासन सचिव,

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

Government Central Press, Jaipur.